<u>प्रकाशनार्थ स्वीकृत</u>

<u>न्यायालय क्रमांक - 84</u>

प्रकरण:- बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 467/2021

याचिकाकर्ता:- वाहिन सक्सेना (लघु कॉर्पस) और अन्य

प्रतिवादी:- यूपी राज्य एवं 3 अन्य

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:- पीयूष दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता:- शासकीय अधिवक्ता संजय सिंह

<u>माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव</u>

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष दुबे, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह और राज्य प्रतिवादीओं की ओर से उपस्थित अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री सुषमा सोनी को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता संख्या 2 ने खुद को याचिकाकर्ता संख्या 1-कॉर्पस का पिता होने का दावा करते हुए वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कॉर्पस उसकी मां-प्रतिवादी संख्या 4 की अवैध अभिरक्षा में है।

3. याचिका में दलीलों के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 का जन्म वर्ष 2012 में हुआ बताया गया है। 6.01.2019 को, प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने नाबालिग बच्चे के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और तब से वह अपनी मां-प्रतिवादी संख्या 4 के साथ है। मुकदमा संख्या 1714/2020 के रूप में पंजीकृत तलाक की याचिका, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, आगरा के समक्ष पार्टियों के बीच लंबित बताई गई है।

4. 23.7.2021 को जारी प्रारंभिक आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1-कॉर्पस को उसकी मां-प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है, और उनकी पहचान प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सिंह द्वारा की गई है।

5. पक्षों के अधिवक्ता इस तथ्य पर विवाद नहीं करते हैं कि बच्चा नाबालिग है, उसकी इच्छाओं का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा और अभिरक्षा और संरक्षकता से संबंधित मामलों को न्यायालय द्वारा अपने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में तय करना पड़ सकता है। बच्चे के कल्याण को देखते हुए।

6. विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय में बच्चे के साथ बातचीत की और कहा कि बच्चे ने कहा है कि वह प्रतिवादी संख्या 4, अपनी मां, उनकी देखभाल और संरक्षकता के तहत

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आराम से रह रहा है। बच्चे ने कहा है कि उसकी अच्छी देखभाल की जा रही है और उसे प्यार, स्नेह और संरक्षकता दी जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि बच्चा किसी प्रकार की धमकी या दबाव में है या वह किसी प्रकार की अवैध अभिरक्षा में है।

7. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक विशेषाधिकार रिट और असाधारण उपाय है। यह अधिकार का रिट है और निश्चित रूप से रिट नहीं है और इसे केवल उचित आधार या संभावित कारण दिखाए जाने पर ही दिया जा सकता है, जैसा कि **मोहम्मद इकराम हुसैन बनाम यूपी राज्य और अन्य1 और कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग2** के मामले में कहा गया है। ।

8. एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित दावे के संदर्भ में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य और दायरा **सैयद सलीमुद्दीन बनाम डॉ. रुखसाना और अन्य 3** मामले में विचार के लिए आया था, और यह माना गया था कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मांग की गई थी किसी बच्चे की अभिरक्षा को एक माता-पिता से दूसरे माता-पिता को स्थानांतरित करते समय, न्यायालय के लिए मुख्य विचार यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या बच्चे की अभिरक्षा को अवैध या गैरकानूनी कहा जा सकता है और क्या बच्चे के कल्याण के लिए वर्तमान अभिरक्षा को बदने की आवश्यकता है। इस प्रकार कहा गया:-

> "11....यह स्पष्ट है कि नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मांगने वाले आवेदन में न्यायालय के लिए मुख्य विचार यह सुनिश्चित करना है कि क्या बच्चों की अभिरक्षा को अवैध या गैरकानूनी कहा जा सकता है और क्या बच्चों के कल्याण के लिए आवश्यक है कि वर्तमान अभिरक्षा को बदला जाए और बच्चों को किसी और की देखभाल और संरक्षण में छोड़ दिया जाए। यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी बच्चे की अभिरक्षा के मामले में न्यायालय को बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। ..."

9. **नित्य आनंद राघवन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य4** के मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण रखते हुए, यह माना गया कि ऐसे मामलों में न्यायालय का मुख्य कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या बच्चे की अभिरक्षा अवैध या गैरकानूनी है और क्या बच्चे के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि उसकी वर्तमान अभिरक्षा को बदल दिया जाए और बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल और अभिरक्षा में सौंप दिया जाए। फैसले में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"44। वर्तमान अपील एक नाबालिग बच्चे की पेशी और अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाली याचिका से उत्पन्न हुई है। कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग, (1973) 2 एससीसी 674 में इस न्यायालय ने माना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यह अनिवार्य रूप से न्याय की मशीनरी से संबंधित एक प्रक्रियात्मक रिट थी। रिट का अंतर्निहित उद्देश्य उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना था जो अवैध रूप से अपनी स्वतंत्रता से वंचित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस व्यक्ति को संबोधित एक आदेश है जिस पर किसी और को रखने का आरोप है गैरकानूनी अभिरक्षा में, उसे ऐसे व्यक्ति के शरीर को न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय के समक्ष व्यक्ति को पेश करने पर, न्यायालय द्वारा उन परिस्थितियों की जांच की जा सकती है जिनमें संबंधित व्यक्ति की अभिरक्षा को अभिरक्षा में लिया गया है और उचित पूछताछ पर कथित गैरकानूनी अवरोध के मामले में उचित दिशा-निर्देश पारित करें जो न्यायसंगत और उचित समझा जा सकता है। उच्च न्यायालय ऐसी कार्यवाही में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तत्काल निर्धारण और अभिरक्षा के गैरकानूनी पाए जाने पर उसकी रिहाई के लिए जांच करता है।

45. एक नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की याचिका में, इस न्यायालय ने *सैयद सलीमुद्दीन बनाम रुखसाना, (2001) 5 एससीसी 247* में माना है कि न्यायालय का मुख्य कर्तव्य है यह सुनिश्चित करना कि क्या बच्चे की अभिरक्षा अवैध है या गैरकानूनी है और क्या बच्चे के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि उसकी वर्तमान अभिरक्षा को बदल दिया जाए और बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल और अभिरक्षा में सौंप दिया जाए। ऐसा करते समय सर्वोपरि विचार बच्चे के कल्याण के बारे में होना चाहिए। *एलिज़ाबेथ दिनशॉ बनाम अरवंद एम. दिनशॉ, (1987) 1 एससीसी 42* में, यह माना जाता है कि ऐसे मामलों में मामले का निर्णय पार्टियों के कानूनी अधिकारों के संदर्भ में नहीं बल्कि एकमात्र और प्रमुख मानदंड पर किया जाना चाहिए कि सबसे अच्छा क्या होगा नाबालिग के हितों और कल्याण की सेवा के लिए। नाबालिग की अभिरक्षा के मामलों की जांच में उच्च न्यायालय की भूमिका माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत की कसौटी पर है, क्योंकि नाबालिग न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है [*पॉल मोहिंदर गहुन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2004 एससीसी*

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ऑनलाइन डेल 699, देखें जिस पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया]। इस प्रस्ताव पर अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है।

46. उच्च न्यायालय, किसी दिए गए मामले में, किसी नाबालिग बच्चे के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की याचिका पर विचार करते समय, बच्चे की वापसी का निर्देश दे सकता है या सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकता है और ऊपर उल्लिखित निर्धारित कानूनी स्थिति सहित परिस्थितियाँ सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। एक बार फिर, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि न्यायालय का निर्णय, प्रत्येक मामले में, बच्चे के कल्याण पर विचार करते समय उसके सामने लाए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर होना चाहिए, जो सर्वोपरि है। विदेशी न्यायालय का आदेश बच्चे के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के उपाय का उपयोग केवल विदेशी न्यायालय द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति के खिलाफ दिए गए निर्देशों को लागू करने और उस क्षेत्राधिकार को निष्पादन न्यायालय में परिवर्तित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, रिट याचिकाकर्ता विदेशी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करने के लिए ऐसे अन्य उपाय का सहारा ले सकता है जो कानून में स्वीकार्य हो या किसी अन्य कार्यवाही का सहारा ले सकता है जो बच्चे, की अभिरक्षा के लिए भारतीय न्यायालय के समक्ष कानून में स्वीकार्य हो सकती है। यदि ऐसा है तो सलाह दी जाती है।

47. जैसा कि ऊपर कहा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या नाबालिग किसी अन्य व्यक्ति (रिट याचिका में नामित निजी प्रतिवादी) की कानूनी या गैरकानूनी अभिरक्षा में है। उस मुद्दे पर विचार करने के लिए, वर्तमान मामले जैसे मामले में, यह नोट करना पर्याप्त है कि निजी प्रतिवादी कोई और नहीं बल्कि नाबालिग की प्राकृतिक अभिभावक थी जो उसकी जैविक मां है। एक बार जब यह तथ्य सुनिश्चित हो जाता है, तो यह माना जा सकता है कि नाबालिग की उसकी मां के पास अभिरक्षा वैध है। ऐसे मामले में, केवल असाधारण स्थिति में ही रिट क्षेत्राधिकार के तहत नाबालिग (बालिका) की अभिरक्षा उसकी मां से छीनकर पति (बच्चे के पिता) सहित किसी अन्य व्यक्ति को देने का आदेश दिया जा

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सकता है। इसके बजाय, दूसरे माता-पिता को बच्चे की संरक्षण पाने के लिए एक ठोस निर्धारित उपाय का सहारा लेने के लिए कहा जा सकता है।"

10. एक नाबालिग की अभिरक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की विचारणीयता के प्रश्न की जांच **तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर, जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य5** में की गई थी, और यह माना गया था कि याचिका सुनवाई योग्य होगी। जहां माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा अभिरक्षा में रखना गैरकानूनी और बिना किसी कानून के अधिकार के पाया जाता है और असाधारण मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के विशेषाधिकार रिट के असाधारण उपाय का लाभ उठाया जा सकता है, जहां कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपाय या तो अनुपलब्ध है या अप्रभावी है। इस संबंध में फैसले में की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"14. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अवैध या अनुचित अभिरक्षा से तत्काल रिहाई के प्रभावी साधन प्रदान करके विषय की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रक्रिया है। रिट एक नाबालिग की अभिरक्षा को उसके अभिभावक को बहाल करने के लिए भी अपना प्रभाव बढ़ाती है जब गलत तरीके से इससे वंचित किया गया। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग की अभिरक्षा, जो उसकी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है, को नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का निर्देश देने के लिए रिट देने के उद्देश्य से अवैध अभिरक्षा के बराबर माना जाता है। नाबालिग की अभिरक्षा की बहाली के लिए ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्तिगत कानून के अनुसार, उसका कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक नहीं है, उचित मामलों में, रिट न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

XXX

19. बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को उचित ठहराने या उसकी जांच करने के लिए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा को न्यायालय के विवेक पर निर्भर किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है जो एक असाधारण उपाय है और रिट तब जारी की जाती है जहां विशेष मामले की परिस्थितियों में, कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपाय या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है; अन्यथा रिट जारी नहीं की जायेगी। बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में, रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों में योग्य है जहां किसी नाबालिग को ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिरक्षा में रखा

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाता है जो उसकी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विचाराधीन मुद्दे पर फैसले के मद्देनजर, हमारे विचार में, बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कायम रखने योग्य है, जहां यह साबित हो जाता है कि माता-पिता द्वारा नाबालिग बच्चे को अभिरक्षा में रखा गया है या अन्य अवैध और कानून के किसी भी अधिकार के बिना था।

20. बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में, सामान्य उपचार केवल हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के तहत निहित है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में, न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग आमतौर पर उस क्षेत्र में रहता है जिस पर न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है। संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत जांच और रिट न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं जो संक्षेप प्रकृति का है। जो महत्वपूर्ण है वह है बच्चे का कल्याण। रिट न्यायालय में अधिकारों का निर्धारण शपथ पत्र के आधार पर ही किया जाता है। जहां न्यायालय का मानना है कि विस्तृत जांच की आवश्यकता है, न्यायालय असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और पार्टियों को सिविल न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है। यह केवल असाधारण मामलों में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में नाबालिग की अभिरक्षा के पक्षों के अधिकार निर्धारित किए जाएंगे।"

11. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने रचित पांडे (माइनर) और अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य6, मास्टर मनन @ आरुष बनाम यूपी राज्य और 8 अन्य7, कृष्णकांत पांडे (कॉर्पस) और 2 अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य8, मास्टर तरूण @ अक्षत कुमार और अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य9, और प्रियांशु (नाबालिग) बनाम यूपी राज्य और 5 अन्य10 के हालिया फैसलों में लिया है।

12. इसलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उस क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य पर निर्भर माना जाएगा जहां आवेदक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करता है कि अभिरक्षा गैरकानूनी है। यह केवल तभी होता है जब उपरोक्त न्यायिक तथ्य स्थापित हो जाता है कि आवेदक अधिकार के रूप में रिट का हकदार बन जाता है।

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाले एक आवेदन में, जैसा कि यहां मामला है, न्यायालय के लिए मुख्य विचार यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या बच्चे की अभिरक्षा को अवैध और गैरकानूनी कहा जा सकता है और क्या उसकी कल्याण के लिए आवश्यक है कि वर्तमान अभिरक्षा को बदल दिया जाए और बच्चे को जिसकी अभिरक्षा में वह वर्तमान में है, उसके अलावा किसी और की देखभाल और अभिरक्षा में सौंप दिया जाए।

14. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की कार्यवाही का उपयोग किसी बच्चे की अभिरक्षा के प्रश्न की जांच के लिए नहीं किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का विशेषाधिकार रिट, असाधारण उपाय की प्रकृति में है, और रिट तब जारी की जाती है, जहां किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में, कानून के तहत प्रदान किया गया सामान्य उपाय या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है। बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति का उपयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है, जहां किसी नाबालिग की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसकी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है।

15. बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका में, नाबालिग की अभिरक्षा के मामलों की जांच में उच्च न्यायालय की भूमिका माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत की कसौटी पर होनी चाहिए और सर्वोपरि विचार बच्चे के कल्याण का होगा । ऐसे मामलों में मामले का निर्णय न केवल पार्टियों के कानूनी अधिकारों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, बल्कि इस प्रमुख मानदंड पर भी किया जाना चाहिए कि नाबालिग के हित और कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या होगा।

16. किसी दिए गए मामले में, एक नाबालिग बच्चे के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए याचिका से निपटने के दौरान, बच्चे की वापसी के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं या न्यायालय बच्चे की अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकती है। सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्यायालय के समक्ष लाए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए; बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।

17. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ मतभेदों के कारण 06.1.2019 को अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया, और उसके बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1-कॉर्पस लगातार उसकी अभिरक्षा में है। विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर भी विवाद नहीं किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 लगभग नौ वर्ष

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की उम्र का नाबालिग बच्चा, अपनी मां के साथ अवैध नहीं कहा जा सकता। एकमात्र दावा जिसे आगे रखा जाना है वह मुलाक़ात अधिकार प्रदान करने के लिए है।

18. इसलिए यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, नाबालिग बच्चा, जिसकी उम्र वर्तमान में लगभग नौ वर्ष है, लगातार अपनी मां-प्रतिवादी संख्या 4 की देखभाल और संरक्षण में है, जो स्वतंत्र रूप से और अपने पति से अलग रह रही है। 06.1.2019 से, वह तारीख जब उसने नाबालिग बच्चे के साथ अपना वैवाहिक घर छोड़ा था। यह याचिकाकर्ता संख्या 2-पिता का मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता संख्या 1-कोश को उसकी मां ने जबरन उसकी अभिरक्षा से छीन लिया था।

19. हिंदू विवाह अधिनियम, 195511 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित विषय उसकी धारा 26 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार शासित होता है। उपरोक्त धारा हिंदू विवाह अधिनियम के तहत "किसी भी कार्यवाही" पर लागू होती है और यह न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देती है: (i) अभिरक्षा, (ii) भरण-पोषण, और (iii) नाबालिग बच्चों की शिक्षा। इस प्रयोजन के लिए न्यायालय डिक्री में ऐसे प्रावधान कर सकता है जो उसे न्यायसंगत और उचित लगे और वह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेश भी पारित कर सकता है और डिक्री पारित होने के बाद भी ऐसे सभी आदेश पारित कर सकता है।

20. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रावधानों पर **गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल12** में विचार किया गया था, और इसे इस प्रकार माना गया था: -

> "हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 बच्चों की अभिरक्षा का प्रावधान करती है और घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय समय-समय पर अभिरक्षा के संबंध में ऐसे अंतरिम आदेश दे सकती है, जो उसे उचित और सही लगे, नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण और शिक्षा, जहां भी संभव हो, उनकी इच्छाओं के अनुरूप।"

21. एक नाबालिग बच्चे के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए एक याचिका में, ,किसी न्यायालय के दिए गए मामले में, उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चे की अभिरक्षा को बदलने या इसे अस्वीकार करने का निर्देश दिया जा सकता है। उक्त उद्देश्य के लिए यह जांचना आवश्यक होगा कि क्या याचिका में नामित निजी प्रतिवादी के पास

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नाबालिग की अभिरक्षा वैध है या गैरकानूनी है। वर्तमान मामले में, निजी प्रतिवादी कोई और नहीं बल्कि नाबालिग बच्चे की जैविक मां है। यह तथ्य होने के कारण, यह माना जा सकता है कि बच्चे की अपनी मां के पास संरक्षण गैरकानूनी नहीं है। यह केवल असाधारण स्थिति में ही होगा कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी नाबालिग की अभिरक्षा मां से छीनकर बच्चे के पिता सहित किसी अन्य व्यक्ति को देने का निर्देश दिया जा सकता है। ऐसा इस कारण से भी होगा कि अन्य माता-पिता, वर्तमान मामले में, पिता, बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में अपने दावे के संबंध में वास्तविक वैधानिक उपाय का सहारा ले सकते हैं।

22. बच्चे की अभिरक्षा के मामले में, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार किया जा सकता है, जहां यह स्थापित हो कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा अवैध है और कानून के अधिकार के बिना है। रिट न्यायालय में, जहां अधिकारों का निर्धारण शपथपत्र के आधार पर किया जाता है, ऐसे मामले में जहां न्यायालय का मानना है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी, वह असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और पार्टियों को उचित मंच से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर समाधान हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 189014, जैसा भी मामला हो, के तहत होगा।

23. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया है और एकमात्र शिकायत, जिसे उठाया जाना है, पिता की ओर से मुलाक़ात के अधिकार के दावे के संबंध में है।

24. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अभिरक्षा और/या मुलाक़ात के अधिकार के लिए पिता के दावे के संबंध में जिस विवाद को उठाने की मांग की गई है, वह ऐसे मामले हैं जिन पर उचित कार्यवाही में चर्चा की जानी चाहिए। यह इस कारण से अधिक होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मौजूदा मामले में पारिवारिक न्यायालय के समक्ष पार्टियों के बीच कार्यवाही लंबित है और सभी सहायक राहतें और दावे उक्त मंच के समक्ष या अन्य उचित कार्यवाही में उठाए जाने के लिए खुले हैं।

25. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पहले जारी किए गए नियम निसी को पूर्ण बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है.

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

26. याचिकाकर्ता सं. 1-कोर्पस प्रतिवादी संख्या 4, उसकी मां के साथ उस स्थान पर वापस जाने के लिए स्वतंत्र है जहां से वे आए हैं।

27. तदनुसार याचिका **खारिज** की जाती है।

आदेश दिनांक:-27.8.2021

कीर्ति

(न्यायमूर्ति डॉ. वाई.के. श्रीवास्तव)

अस्वीकरण :अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।